

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (

बनाम

क्रिये मुकदमा

नानूराम वगै० बनाम रामराम वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

सन्

मुकदमा नं 205/2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
5-11-19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। कारले निर्णय/ अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26-11-19 के पेश है।</p>
26.11.2019	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में आज न्यायालय द्वारा निर्णित पारित किया जाकर मूल वादपत्र को खारीज किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>( लक्ष्मीकान्त गुप्ता ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p>